6-2-17 ~~पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/ अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष~~ उपस्थित हैं/~~अनुपस्थित हैं~~। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण ~~......... पर हैं/अन्य~~ कार्यों में व्यस्त हैं। ~~......... हो गया है।~~ अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 16-2-17 को पेश हो।

रीडर

16-2-17 पत्रावली पेश हुई/वकील ~~वादी/प्रतिवादी/~~ अपीलार्थी/~~रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष~~ उपस्थित हैं/~~अनुपस्थित हैं~~। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण ~~पर/अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/स्थानान्तरण हो गया है।~~ अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 2-3-17 को पेश हो।

रीडर

2-3-17 वकील अपीलार्थी उपस्थित है। बहस हेतु पत्रावली दि० 21-3-17 को पेश हो।

21-3-17 पत्रावली पेश हुई/वकील ~~वादी/प्रतिवादी/~~ अपीलार्थी/~~रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष~~ उपस्थित हैं/~~अनुपस्थित हैं~~। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर हैं/~~अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/स्थानान्तरण हो गया है।~~ अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 31-3-17 को पेश हो।

रीडर

31-3-17 पत्रावली पेश हुई/अभिभाषक संघ ने कार्य का बहिष्कार किया है। P.O. साहब दौरे पर/~~अवकाश पर~~/अन्य कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दि० 20-4-17 को पेश हो।

रीडर

20-4-17 वकील अपीलार्थी उप०। बहस सुनी गई। वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 27-4-17 को पेश हो।

27-4-17 वकील अपीलार्थी उप०। अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामां०सं० 1329 दि० 6-11-15 ग्राम चूली निरस्त किया जाता है व प्रकरण सुनवाई हेतु तहसीलदार गंगापुर को रिमाण्ड किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उप जिला कलेक्टर

निर्णय न
एवं

मुकदमा न
12/2016
पुखराज पु
राम रहीम

1. सरपंच
2. लैण्ड ह

उपस्थित

अर्प
ग्राम चूली
दिनांक 6
आदेश वि
पंचायत च
दिया कि
नामान्तरक
पहचान प
पंचायत
मूल्याराम
भूमि ख०
उसके वा
देवी के
जबकि 3
पहचान
अपीलार्थी
नामान्तरक
पटवारी
हुआ तब
बाबूलाल
एवं यह
सं० 132
निरस्त प
स्थान प

प्रत्यार्थीग

निर्णय न्यायालय श्री बाबूलाल जाट, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
12/2016	10.6.2016	27-4-2017

पुखराज पुत्र मूलचन्द उर्फ मूलाराम जाति चमार निवासी रानोली हाल निवासी राम रहीम कोलोनी, वार्ड संख्या 33 गंगापुर सिटी ——अपीलार्थी

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत चूली तहसील गंगापुर सिटी
2. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ——प्रत्यार्थीगण

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 1329
दिनांक 6.11.2014 ग्राम चूली तहसील गंगापुर सिटी

उपस्थित :—श्री सतीश चन्द शर्मा, एडवोकेट, अपीलार्थी की ओर से

निर्णय

अपीलार्थी ने अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 1329 दि0 6.11.2014 ग्राम चूली इस आशय की पेश की है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण सं01329 दिनांक 6.11.2014 ग्राम चूली पर सरपंच ग्राम पंचायत चूली द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध एवं साक्ष्य के अभाव में निरस्तनीय है। सरपंच ग्राम पंचायत चूली ने नामान्तरकरण स्वीकार करते समय इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि अपीलार्थी का सही नाम क्या है तथा न ही अपीलार्थी को नामान्तरकरण स्वीकार करने से पूर्व उसका नाम पूछा गया न ही कोई पहचान पत्र आदि दस्तावेज नामान्तरकरण के साथ संलग्न किए गए हैं। ग्राम पंचायत चूली ने अपीलार्थी की मां भोरी देवी पुत्री नत्थू पत्नि मूलचन्द उर्फ मूल्याराम जाति चमार निवासी रानोली की मृत्यु होने पर उसकी खातेदारी की भूमि ख0नं0 518 रकबा 0.04 है0, ख0नं0 519 रकबा 1.36 है ग्राम चूली का उसके वारिसान पुत्रगण के नाम खोला गया है। नामान्तरकरण में मृतक भोरी देवी के पुत्रगण खिलाडी, चिरंजी, बाबूलाल का नाम अंकित किया गया है जबकि अपीलार्थी का सही नाम पुखराज है जो सभी सरकारी दस्तावेजात पहचान पत्र, राशनकार्ड, आधारकार्ड आदि में पुखराज नाम ही दर्ज है। अपीलार्थी का बाबूलाल नाम केवल बोलता नाम है। अपीलार्थी को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी पहली बार अपनी कृषि भूमि की के0सी0सी0 हेतु पटवारी हलका से जमाबंदी व गिरदावरी मांगने पर दिनांक 30.5.2016 को हुइ तब पटवारी हलका ने बताया कि रेवेन्यु रिकार्ड में अपीलार्थी का नाम बाबूलाल हो रहा हे। इस पर अपीलार्थी ने नामान्तरकरण की नकल प्राप्त की एवं यह अपील पेश की है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि नामान्तकरण सं0 1329 दिनांक 6.11.2014 ग्राम चूली पर ग्राम पंचायत चूली का आदेश निरस्त फरमाया जावे एवं नामान्तरकरण में अपीलार्थी का नाम बाबूलाल के स्थान पर पुखराज पुत्र मूलचंद उर्फ मूलाराम अंकित फरमाया जावे।

अपील दर्ज की जाकर प्रत्यार्थीगण को तलब किया गया । प्रत्यार्थीगण बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए। तहसीलदार गंगापुर सिटी के

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

वहां से अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1329 दिनांक 6.11.2014 मूल प्राप्त हुआ।

अपील के साथ अपीलार्थी ने नकल नामान्तरकरण संख्या 1329 दि0 6.11.2014 ग्राम चूली, नकल जमाबंदी सं0 2070 से 2073, फोटोकोपी मतदाता पहचान पत्र, फोटोकोपी राशनकार्ड, फोटोकोपी आधारकार्ड पेश किए हैं।

बहस विद्वान वकील अपीलार्थी सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान वकील ने अपनी अपील के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि अपीलार्थी का सही नाम पुखराज है परन्तु जो अपीलाधीन नामान्तरकरण खोला गया है उसमें अपीलार्थी का नाम पुखराज के स्थान पर बाबूलाल अंकित कर दिया गया है । बाबूलाल अपीलार्थी का बोलता नाम है वास्तव में अपीलार्थी का सही नाम पुखराज है। इसलिए अपीलाधीन नामान्तरकरण में अपीलार्थी का सही नाम पुखराज दर्ज किया जावे।

बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1329 दिनांक 6.11.2014 ग्राम चूली के अवलोकन से स्पष्ट है कि खातेदार भौरी की मृत्यु होने के बाद उसके वारिसों खिलाडी, चिरंजी, बाबूलाल, अंगूरी देवी के नाम यह नामान्तरकरण खोला गया है। अपीलार्थी का कथन है इस नामान्तरकरण में अपीलार्थी का नाम बाबूलाल अंकित कर दिया गया है जबकि अपीलार्थी का सही नाम पुखराज है। अपीलार्थी के इस कथन की पुष्टि उसके द्वारा प्रस्तुत फोटोकोपी मतदाता पहचान पत्र फोटोकोपी राशनकार्ड, फोटोकोपी आधारकार्ड से होती है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के अनुसार अपीलार्थी का सही नाम बाबूलाल नहीं होकर पुखराज होना प्रतीत होता है एवं अपीलार्थी की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है एवं अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1329 दिनांक 6.11.2014 ग्राम चूली निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार गंगापुर सिटी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलार्थी के सही नाम के बारे में जांच कर नियमानुसार अपीलार्थी के सही नाम से नामान्तरकरण खोलने की कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार गंगापुर सिटी को मूल नामान्तरकरण सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 27-4-2017 को सुनाया गया ।

(बाबूलाल जाट)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)